

भारतीय नैऋत्याधिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹ 100

ONE HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA ONLY LEGAL TENDER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11 11/2011

R-237754

1. यह नकल भारतीय नैऋत्याधिक (1957) अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई है।

2. इस नकल का मूल्य 11,200/- रुपये है। यह नकल केवल भारत में ही प्रयुक्त की जा सकती है। यह नकल के प्रयोग के लिए भारत सरकार के आदेशों का पालन करना आवश्यक है।

- 1. नकल का नाम - "राज्य कोषाध्यक्ष के दफ्तर"
- 2. प्रयुक्त अवधि - दिनांक 1/1/11 से दिनांक 31/12/11 तक।
- 3. नकल का उपयोग - यह नकल केवल भारतीय नैऋत्याधिक के अन्तर्गत ही प्रयुक्त की जा सकती है।
- 4. नकल के उपयोग के लिए आवश्यक है कि नकल के अन्तर्गत ही प्रयुक्त की जा सकती है।

प्रधान इन्स्टी
राज्य कोषाध्यक्ष के दफ्तर

2011/11/11



प्रधान इन्स्टी
राज्य कोषाध्यक्ष के दफ्तर

क्रमांक-14 1700/2018 वी.
खो.सं. 1 प्र.सं. 36
पाने 17 प. 24 प.सं. 2
श्रीमती. सु. सु.


श्री. सु. सु.

SFCB

Sun Registrar

10/10/2018

